

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोंडाभीम

फर्द अहकाम

मुं० 72/14

तारीख रजू 26.9.14

उतवान - रामपति बनाम रामदास
दावाबाबत घोषणा खोतवारी एवं ल्यायी
निवेधावला

वादी की ओर से श्री राममोसासी गुप्ता ने
ने दावा बाबत घोषणा खोतवारी व ल्यायी
निवेधाज्ञा पेश किया। दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्रर
कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब
कर दिनांक 23.10.14 को पेश हो।

2305-07
26-9-14

31/14 वादी की वकूला उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1
की अदमता मिल प्राप्त हुई है। प्रतिवादी नं. 2, 3
की तातिल हो चुकी है। कोई उपस्थित नहीं।
10 सां क्रिष्टिग में करे ली पद्योर है। वास्तु
अग्रिम आदेश दिनांक 3.11.14 को पेश हो।


नि रामपति

31/14 वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 2, 3 बलज्जद
सूचना उप. नहीं देने से उनके विरुद्ध एक पक्षीप
कार्रगारी की जाती है। प्रतिवादी नं. 1 का रजि०
AD तलवाता नेमपोप पेश करे। पत्रावली
दिनांक 8.12.14 को पेश हो।



न्यायालय उप जिला कलेक्टर

लेनिय उपखण्ड अधिकारी एवं

दिनांक	फर्द अहकाम
30 ⁴ / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षस्थान उपन वाले वदस प्रार्थना पत्र पेश करने दिनांक 17.5.24 को पेश हो। (5)
175 24	वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठसीन अधिकारी... पुनात... की V.C से पछारे ई। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 12.6.24 को पेश हो। (5)
12-6-24	पत्रावली पेश हुई। वकूला उपन गिणुमा दिनांक 16-7-24 को पेश हो। (5)
16 ² / ₂₄	पत्रावली पेश हुई। वकूला उपन गिणुमा वकील उमयपक्ष कारण से वदस के विस समर्थ चाई। वाले वदस प्रार्थना पत्र दिनांक 20-8-24 को पेश हो। (5)
208 24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील व वादीगणों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार-2 आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस्तकर दाना इस्तकरार एक (दोषणा खातेदारी) व स्पॉई निवेदारा अदम हालिरी एवं इस्त फेरकी मे खारिज किया जाला है। पत्रावली फेलव शुभार होकर नम्बर से कम होकर दारिजल दफ्तर हो। (5)